न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोद कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या – 273 / 2022

प्रार्थीगण	बनाम विप्रार्थीगण
1. रावतसिंह पुत्र भेरसिंह उम्र 41 वर्ष 2. हडमतसिंह पुत्र भेरसिंह उम्र 35 वर्ष 3. बलवन्तसिंह पुत्र भेरसिंह उम्र 28 वर्ष 4. तलमसिंह पुत्र भेरसिंह उम्र 27 वर्ष कौम वजीर साकिन बोडानाडा तहसील सिणधरी 5. मांकुकंवर पुत्री भेरसिंह पत्नी नरपतसिंह उम्र 44 वर्ष 6. सतिया पुत्री भेरसिंह पत्नी कान्तिसिंह उम्र 39 वर्ष कौम वजीर तहसील सिणधरी	1. भेरसिंह पुत्र रूपसिंह उम्र 65 वर्ष 2. आम्बसिंह पुत्र जीवराजसिंह उम्र 55 वर्ष 3. गीतादेवी पत्नी भंवरसिंह उम्र 54 वर्ष 4. कुंपसिंह पुत्र कुंभसिंह उम्र 25 वर्ष 5. गीगीदेवी पत्नी कुंभसिंह उम्र 50 वर्ष 6. गोविन्दसिंह पुत्र कुंभसिंह उम्र 20 वर्ष 7. भंवरसिंह पुत्र रूपसिंह उम्र 60 वर्ष कौम वजीर साकिन बाण्डानाडा तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 8. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री चिमनसिंह चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री अमराराम चौधरी विप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से उपस्थित।।
3. विप्रार्थी सं. 8 के पैरोकार सरकार उप0।
4. शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।

<u>निर्णय</u>

दिनांक– 24.01.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। कि पक्षकारान की सामलाती कब्जा काश्त की आराजी मौजा बाण्डानाडा पटवार हल्का चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर मे खेत खसरा नम्बर 25 रकबा 5.1048 हैक्टेयर किस्म बा.दो. व खसरा संख्या 24 रकबा 0.9156 हैक्टेयर, किस्म बा. दोयम का आया हुआ है। कि उक्त वादग्रस्त आराजी के मौके पर टांका, पशुबाड़ा आदि बने हुए है जिसमें प्रार्थीगण मौके पर काबिज है। प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी उपजाउ होने से भूमि किमती है तथा विप्रार्थीगण की नियत में खोट आ जाने से प्रार्थीगण को अपने कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने तथा प्रार्थी के कब्जे की भूमि को बैचान करने की धमकियां दे रहे है। विप्रार्थीगण प्रार्थी को उक्त आराजी ससे बेदखल करने में सफल होते है तो उससे प्रार्थीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन करना प्रार्थीगण के लिए सम्भव नहीं है। इस कारण विप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आश्य की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि मौजा बाण्डानाडा पटवार हल्का चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

बाडमेर मे खेत खसरा नम्बर 25 रकबा 5.1048 हैक्टेयर किस्म बा.दो. व खसरा संख्या रकबा 0.9156 हैक्टेयर, किस्म बा. दोयम में प्रार्थीगण प्रत्येक का 4/105 व 1/21 हक हिस्से अनुरूप की भूमि विप्रार्थीगण बिना बंटवारा के किसी भी अनजान क्रेता को वादग्रस्त आराजी का बैचान नहीं करे व मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं. 2 व 3 की तरफ से वकील श्री अमराराम चौधरी उपस्थित हुए। तथा शेष विप्रार्थी सं. 1 व 4 से 7 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने अपने आवेदन के तथ्यों को दौहराते हुए बहस के तथ्यों में कथन किया कि पक्षकारान की सामलाती कब्जा काश्त की आराजी मौजा बाण्डानाडा पटवार हल्का चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर मे खेत खसरा नम्बर 25 रकबा 5.1048 हैक्टेयर किस्म बा.दो. व खसरा संख्या 24 रकबा 0.9156 हैक्टेयर, किस्म बा. दोयम का आया हुआ है। कि उक्त वादग्रस्त आराजी के मौके पर टांका, पशुबाडा आदि बने हुए है जिसमें प्रार्थीगण मौके पर काबिज है। प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी उपजाउ होने से भूमि किमती है तथा विप्रार्थीगण की नियत में खोट आ जाने से प्रार्थीगण को अपने कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने तथा प्रार्थी के कब्जे की भूमि को बैचान करने की धमकियां दे रहे है। विप्रार्थीगण प्रार्थी को उक्त आराजी ससे बेदखल करने में सफल होते है तो उससे प्रार्थीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन करना प्रार्थीगण के लिए सम्भव नहीं है। इस कारण विप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आश्य की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि मौजा बाण्डानाडा पटवार हल्का चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर मे खेत खसरा नम्बर 25 रकबा 5.1048 हैक्टेयर किस्म बा.दो. व खसरा संख्या 24 रकबा 0.9156 हैक्टेयर, किस्म बा. दोयम में प्रार्थीगण प्रत्येक का 4/105 व 1/21 हक हिस्से अनुरूप की भूमि विप्रार्थीगण बिना बंटवारा के किसी भी अनजान क्रेता को वादग्रस्त आराजी का बैचान नहीं करे व मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करते हुए अपनी ओर से बहस करते हुए तर्क दिये कि प्रार्थीगण के पिता भेरसिंह (भेरा) द्वारा अपने कब्जे काश्त एवं हिस्से की भूमि का जरिये बैचान 30.09.2010 को किया गया, जिसका मौके पर पारिवारिक रूप से भैरसिंह के समस्त वारिसान के रूबरू कब्जा सुपर्द करते हुए प्रतिफल का बंटवाड़ा किया गया है, वर्तमान में बढती किमतों को देखते हुए प्रार्थीगण के मन में खोट आ जाने से विप्रार्थी सं. 1 के साथ मिलावट करते हुए यह वाद प्रस्तुत किया है। उक्त क्रयसुदा भूमि पर विप्रार्थी सं. 2 व 3 का वर्ष 2010 से लगातार कब्जा काश्त है, जिसका प्रार्थीगण को भलींभाति ज्ञान है। यदि प्रार्थीगण को इस संबंध में कोई उजर एतराज होता तो अवश्य ही वक्त बैचान अथवा तत्सयम किया जाता, परन्तु विप्रार्थी सं. 2 व 3 को अनावश्यक परेशान करने हेतु प्रस्तुत उक्त वाद को मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन एवं विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। वादग्रस्त भूमी बाण्डानाडा पटवार हल्का चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर मे खेत खसरा नम्बर 25 रकबा 5.1048 हैक्टेयर किस्म बा.दो. व खसरा संख्या 24 रकबा 0.9156 हैक्टेयर, किस्म बा. दोयम वक्त बंदोबस्त प्रार्थीगण के पितामाह रूपसिंह के नाम दर्ज हुई। जंहा तक प्रार्थीगण ने अपने अभिकथनों में उल्लेखित किया कि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत रूपसिंह की फौतेदगी पर इस वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
SDO सिणधरी

आराजी में प्रार्थीगण के पिता भेरसिंह के नाम अंकित हिस्से में प्रार्थीगण का अपने पिता के साथ उनके बराबर हिस्सा, प्रार्थीगण के जन्म के क्षण ही पैदा हो चुका था, ना.क.सं. 339 के अद्यतन अनुसार इस पैतृक आराजी में प्रार्थीगण के अधिकार सृजित हो जाने के कारण प्रत्येक प्रार्थी अपने पिता के साथ बराबर अर्थात हिस्सा–कस्सी का अधिकारी हो गया एवम् स्वयं प्रार्थीगण के पिता भेरसिंह का भी समान हिस्सा बनता है तथा प्रार्थीगण के पिता द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का बैचान कर प्रार्थीगण को अपने पैतृक सहदायिकी हिस्से से विधिविरूद्ध तरीके से वंचित किया है तथा विधिविरूद्ध बैचान के आधार पर विप्रार्थीगण मात्र खातेदारी अंकन के आधार पर प्रार्थीगण को अपने उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पति से वंचित किये जाने हेतु प्रयासरत है तथा उन्हें कब्जे काश्त की भूमि से बेदाखली पर उतारू है ,ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की इस्तदुआ अनुसार उक्त भूमि पैतृक पुश्तैनी होने पर उसका खातेदारी हिस्सा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार विवादित आराजी में प्रार्थीगण, विप्रार्थी सं. 1 का सामुहिक रूप से हिस्सा बनता है का निस्तारण मूल वाद के जरिये साक्ष्य /सबूत के आधार पर पक्षकारान की सुनवाई निर्णित किया जाना है, यदि दौराने विचारण वाद विवादित भूमि का बेचान कर दिया जाता है तो पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार नहीं किया जा सकता है और प्रकरण को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदीगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश को ताफैसला मूल वाद कन्फर्म किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी संख्या 01 को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा बाण्डानाडा पटवार हल्का चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर मे खेत खसरा नम्बर 25 रकबा 5.1048 हैक्टेयर किस्म बा.दो. व खसरा संख्या 24 रकबा 0.9156 हैक्टेयर के संबंध में प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी अथवा हस्तान्तरण इत्यादि नहीं कर राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 24.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी